अहमदाबाद में छात्र की चाकू से हत्या

आपसी झगड़े में स्कूल परिसर में घटी वारदात

प्रेम प्रसंग में नाकामी के बाद छात्र ने किया वार

अहमदाबाद, 20 अगस्त. हालिया घटनाएं बता रही हैं कि देश भर में स्कूल अब सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि हिंसक घटनाओं के गवाह भी बनते जा रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में तीन चौंकाने वाली वारदातों ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया.

अहमदाबाद के खोखरा क्षेत्र स्थित सेवेंथ डे स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र ने दसवीं के एक छात्र को चाकू मार दिया. आपसी झगड़े में हुई इस वारदात में घायल छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की. वहीं बिहार के भागलपुर में एक कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर लौट रही छात्रा पर एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया. छात्रा के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं और वह अस्पताल में भर्ती है. बताया जा रहा है कि यह हमला प्रेम प्रसंग में असफलता के चलते हुआ. ग्रामीणों ने आरोपी छात्र को पकड़कर जमकर पीटा, जिसे बाद में पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया. तीनों घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि किशोरों में बढ़ती हिंसा, असहिष्णुता और मानसिक तनाव अब गंभीर सामाजिक बीमारी बन गई है. जिसे रोकना सभी की जिम्मेदारी है.

> उत्तराखंड के काशीपुर में गुरुनानक स्कूल के एक छात्र ने अपने शिक्षक गगन सिंह को कक्षा समाप्त होते ही तमंचे से गोली मार दी. कहीं शिक्षक पर गोली चली, कहीं छात्र की हत्या, तो कहीं छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला. देश के 3 अलग-अलग हिस्सों में बीते दो दिनों के भीतर छात्रों द्वारा की गई हिंसक घटनाओं ने पूरे शैक्षणिक जगत को हिलाकर रख दिया है. छात्र ने बताया कि उसे सोमवार को पढ़ाई के दौरान सही जवाब देने के बावजूद थप्पड़ मारा गया था. इसी अपमान से आहत होकर उसने बदला लेने की ठान ली और बुधवार को टिफिन कवर में तमंचा छिपाकर स्कूल पहुंचा. घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

मोदी ने की पटनायक के शीघ्र स्वस्थ की कामना

नयी दिल्ली 20 अगस्त. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. पटनायक का भुवनेश्वर के एसयूएम अल्टीमेट मेडिकेयर अस्पताल में उपचार चल रहा है. बीजू जनता दल (बीजद) के सूत्रों ने बताया कि मोदी ने आज पटनायक से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. इस दौरान प्रधानमंत्री ने पटनायक को कुछ समय आराम करने और उनसे मिलने के लिए जल्द ही दिल्ली आने का सुझाव भी दिया. बीजद अध्यक्ष को तबीयत बिगड़ने के बाद गत रविवार शाम को भुवनेश्वर के एसयूएम अल्टीमेट मेडिकेयर अस्पताल में दाखिल कराया गया. अभी उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है.

त्रिपुरा में 5 दिन 25 अगस्त तक भारी बारिश होने की चेतावनी

अगरतला, 20 अगस्त. मौसम विभाग (आईएमडी) ने त्रिपुरा में आज से 25 अगस्त तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है. पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण जिले में 21, 22 और 23 अगस्त को एक या दो स्थानों पर भारी बारिश, जबकि शेष जिलों में भी इसी अवधि के दौरान हल्की बारिश होने का अनुमान है. बारिश की तीव्रता 24 और 25 अगस्त तक और बढ़ने की उम्मीद है.

सार्वजनिक सूचना

इस नोटिस के माध्यम से, हमारे फ्रेंचाइजी डीलरशिप समुदाय, ग्राहकों के साथ-साथ संबंधित लोगों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि **मेसर्स ड्राईवस् मोटो कॉर्प, श्री विवेक बिडोरिया** के माध्यम से, जिनका अंतिम ज्ञात पता- 86 सी, शीतल नगर, रैडिसन स्क्वेर के पास, मध्य प्रदेश 452010 है, जो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स लिमिटेड (जिसे आगे **"कंपनी"** कहा जाएगा) के पूर्व फ्रेंचाइजी डीलर थे, को 15 मार्च 2024 के कारोबारी घंटों के अंत से तत्काल प्रभाव से अपनी अधिकृत फ्रेंचाइजी डीलरशिप से हटाया गया है।

आम जनता को सावधान किया जाता है की **मेसर्स ड्राईवस् मोटो कॉर्प** के पास कंपनी के किसी भीट्रेडमार्क/ब्रांड नाम का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, न ही यह **"महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स"** और **"कार एंड बाइक"** के ब्रांड के तहत कोई व्यवसाय कर सकता है और/या कंपनी की ओर से कोई धन प्राप्त कर सकता है। आम जनता को सावधान जाता है कि वे **मेसर्स ड्राईवस् मोटो कॉर्प** के साथ कोई भी वित्तीय लेनदेन न करें, यह मानने के बाद कि उन्हें कंपनी के ट्रेड मार्क / ब्रांड नाम का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है।

मेसर्स ड्राईवस् मोटो कॉर्प के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम और ज़िम्मेदारी पर ऐसा करेगा। कंपनी किसी भी तरह से **मेसर्स ड्राईवस् मोटो कॉर्प** के ऐसे अनधिकृत और गैरकानूनी कार्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी।

आदेश द्वारा
महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स लिमिटेड
पंजीकृत पता - गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई - 400 001, महाराष्ट्र

दानशुर व्यक्तींना मदतीचे आवाहन

सिल्लोड व सोयगांव तालुक्यातील सर्व विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या सेवार्थ इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ फर्दापुर ता. सोयगांव जि. छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) तर्फे सेवार्थ शाळा इमारत बांधकाम, महाविद्यालय इमारत बांधकाम तसेच वस्तीगृह इमारत बांधकाम व इतर आनुषंगिक कामांच्या मदतीसाठी कंपन्या, खाजगी कंपन्या, संस्था आणि दानशुर व्यक्तींनी सढळ हाताने मदत करावी, ही नम्र विनंती.

चेक, डीडी, NEFT, IMPS, UPI व RTGS द्वारे संस्थेच्या खालील बँक खात्यात देणगी स्विकारली जाईल.

बँक खात्याचे नांव : इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ
बँक खाते क्र. : 39173093422
बँकेचे नाव : स्टेट बँक ऑफ इंडिया
शाखा : सिल्लोड ता. सिल्लोड
IFSC कोड : SBIN0020015
संस्था 12A नोंदणी क्र. : AABTI2645C24PN01
संस्था 80G नोंदणी क्र. : AABTI2645C24PN02

CSR फंडसाठी
बँक खाते क्र. 44392844439
IFSC कोड : SBIN0020015
बँकेचे नाव व शाखा : स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सिल्लोड

सौजन्य : सर्व सन्माननीय कार्यकारी मंडळ, इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ फर्दापुर ता. सोयगांव जि. छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)

बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम

- नीतीश ने शुरू की 7000 रु.की डीबीटी राहत योजना
- 12 जिलों में 456 करोड़ की राहत राशि सीधे खातों में

पटना, 20 अगस्त. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वर्ष 2025 में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाता में 7000 रूपये प्रति परिवार की दर से आनुग्रहिक राहत की राशि के भुगतान का शुभारम्भ किया.बुधवार को 12 जिलों के 06 लाख 51 हजार 602 प्रभावित परिवारों को 7000 रुपये प्रति परिवार की दर से 456 करोड़ 12 लाख रुपये का भुगतान किया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें खुशी है कि आज 12 जिलों के 6 लाख 51 हजार 602 प्रभावित परिवारों को 7000 रुपये प्रति परिवार की दर से 456 करोड़ 12 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है. कार्यक्रम के दौरान विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अगस्त माह में गंगा नदी के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई.

आज का इतिहास

2003 संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफ़ी अन्नान ने इराक में संयुक्त शांति सेना भेजने का प्रस्ताव खारिज किया.

2004 उड़िया साहित्यकार सच्चिदानंद राउतराय का निधन.

2006 भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान का निधन.

2006 इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने नरसंहार ट्रायल में भाग लेने से इनकार किया.

2008 मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया.

2009 मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का निधन.

2012 अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो में इबोला वायरस के संक्रमण से 20 लोगों की जान गई.

2013-मलेशिया में चिन स्वी मंदिर के समीप बस हादसे में 37 लोग मारे गए और 16 घायल लोग हुए.

2014-राफा में इजरायली हवाई हमले में हमास के तीन शीर्ष कमांडर मारे गए.

2021-प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन.

ब्रिटेन, फ्रांस यूक्रेन में सैनिक तैनात नहीं करेंगे

मास्को, 20 अगस्त. ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में अपने हजारों सैनिक तैनात करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन तथाकथित इच्छुक गठबंधन यूक्रेन की सुरक्षा की गांरटी के लिये वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर रहा है. द टाइम्स अखबार की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह खबर दी गयी. जिसके अनुसार इच्छुक गठबंधन यूक्रेन को हवाई और समुद्री हमलों से बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. साथ ही वह यूक्रेनी सशस्त्र बलों को फिर से मजबूत करने में मदद के लिये जमीनीस्तर पर सैन्य प्रशिक्षकों को तैनात कर रहा है.

यमन के अदन में बाढ़ से 10 लोग घायल

अदन. यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में भारी बारिश के कारण मंगलवार को अचानक आई बाढ़ में 10 लोग घायल हो गए. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में और घरों एवं व्यवसायिक इलाकों में पानी भर गया. स्थानीय निवासियों ने बताया कि बारिश के कारण यातायात भी ठप हो गया. सरकारी समाचार एजेंसी सबा ने बताया कि अदन के गवर्नर अहमद हामिद लामलास ने स्वास्थ्य अधिकारियों को स्थानीय सरकारी खर्च पर बाढ़ पीड़ितों को व्यापक चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए आपातकालीन निर्देश जारी किए हैं. मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी केंद्र ने पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी तटीय क्षेत्रों और लाल सागर तट पर भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
रतलाम शाखा: तल मंजिल, 19, पैलेस रोड़, चिंतामण गणेश मंदिर के सामने, रतलाम- 457001 (मध्य प्रदेश)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 02200001759 एवं 02200002199/ रतलाम शाखा) बद्रीलाल चौहान (ऋणी), मंजु बाई (सह-ऋणी) भोला पाटीदार (जमानतदार)	**06-11-2024 & ₹ 7,18,853/- & ₹ 88,090/-**	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 1081 का भाग, चुना भट्टा के पास, सांई विहार कॉलोनी के पीछे, वार्ड नं. 06, राजगढ़, रतलाम, मध्य प्रदेश 457001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- राजेन्द्र बोराना का मकान, पश्चिम- रुकमणि बाई की भूमि, उत्तर- रोड, दक्षिण- अन्य का मकान	**Rs. 12,03,200/-**	**Rs. 1,20,320/-**	**भौतिक**

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **24-09-2025 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **25-09-2025 दोपहर 3:00 बजे से 3:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी।
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दिपक मालवीय, (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.aadharhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है।
10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 21-08-2025

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

IndusInd Bank

कॉर्पोरेट ऑफिस : इंडसइंड बैंक लिमिटेड, नं. 34, जी.एन. चेट्टी रोड़, चेन्नई-600017.
www.indusind.com फोन : 0442834600 28346301, फेक्स : 04428346312

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/9(1) के अंतर्गत अचल सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आम जनता को तथा विशेष रुप से उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता/जमानतदार को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा इंडसइंड बैंक लिमिटेड के सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, 'जहां है जैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएगी। खाते का विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/जमानतदार का नाम	बकाया राशि	13(2) मांग सूचना की दिनांक	आधिपत्य की दिनांक	संपत्ति का विवरण	संपत्ति हेतु आरक्षित मूल्य	संपत्ति हेतु अग्रिम जमा राशि	नीलामी की तिथी एवं समय
1.	**ऋणी**- श्री जसप्रीत सिंह पिता गुरनाम सिंह **सह-ऋणी** - श्रीमती एस. परमदीप कौर C/o दिदार सिंह सिद्दु **सह-ऋणी** - श्रीमती शरनजीत कौर C/o गोविंद सिंह, **सभी का पता-** 47, शंकरबाग कॉलोनी मरी माता चौराहा, इंदौर (म.प्र.) 452015 **लोन नं. III05059M एव III05060M**	₹ 43,80,478/- (रुपये तिरतालिस लाख अस्सी हजार चार सौ अठत्तर मात्र) दिनांक 20.10.2020 तक	14.08.2020	08.08.2022	**सम्पत्ति:** फ्लेट नं. जी-02, तल मंजिल, प्लाट नं. 54, शंकर कुंज, गोपाल बाग कॉलोनी, इंदौर 452001 **क्षेत्रफल-** 1152 वर्ग फीट	₹ 46,13,760/- (रुपये छियालिस लाख तेरह हजार सात सौ साठ मात्र)	₹ 4,61,376/- (रुपये चार लाख इक्सठ हजार तीन सौ छियोत्तर मात्र)	23-09-2025 प्रात: 11 बजे से दोप. 2 बजे तक
2.	**ऋणी-** श्री जसवंत सिंह चौहान पिता जुझार सिंह **सह-ऋणी** - श्रीमती साजन बाई पति जसवंत सिंह **सभी का पता-** ग्राम खाखरी सुल्तान इकतावा, उज्जैन (म.प्र.) 456668 **लोन नं. IIU05008M**	₹ 9,82,744/- (रुपये नौ लाख ब्यासी हजार सात सौ चौवालिस मात्र) दिनांक 30.06.2021 तक	13.04.2022	30.06.2025	**सम्पत्ति:** पीएन 137 दक्षिणी तरफ, तिरुपति धाम कॉलोनी, तहसील एवं जिला उज्जैन 456010 (म.प्र.) **क्षेत्रफल-** 479.51 वर्ग फीट	₹ 17,68,841/- (रुपये सत्रह लाख अड़सठ हजार आठ सौ इक्तालिस मात्र)	₹ 1,76,884/- (रुपये एक लाख छियोत्तर हजार आठ सौ चौरायसी मात्र)	23-09-2025 प्रात: 11 बजे से दोप. 2 बजे तक
3.	**ऋणी** - श्री मोहम्मद हुसैन खिलजी पिता बाबु खान खिलजी **सह-ऋणी** - श्रीमती आमरीन खिलजी पति मोहम्मद हुसैन खिलजी **सभी का पता-** 1531, गौकुल गंज, महू, इंदौर, (म.प्र.)- 453441 **लोन नं. IAC05252M एवं IAC05253M**	₹ 26,95,384/- (रुपये छब्बीस लाख पिंचायनवे हजार तीन सौ चौरायसी मात्र) दिनांक 30.06.2021 तक	30.06.2021	19.10.2022	**सम्पत्ति:** मकान नं. बीएम 138, एमआईजी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, वार्ड नं. 4, सेक्टर 1, पिथमपुर तहसील एवं जिला धार मध्य प्रदेश 454774, **क्षेत्रफल-** 840 वर्ग फीट	₹ 31,37,400/- (रुपये इक्तीस लाख सैंतीस हजार चार सौ मात्र)	₹ 3,13,740/- (रुपये तीन लाख तेरह हजार सात सौ चालिस मात्र)	23-09-2025 प्रात: 11 बजे से दोप. 2 बजे तक
4.	**ऋणी** - श्री कैलाश चंद्र पिता कुंजीलाल, **पता-** हनुमान मंदिर के पास, चेरनपुरा नागदा, मध्य प्रदेश- 456335 **सह-ऋणी** - श्री कृष्णकांत पिता मोहनलाल, **पता-** मकान नं. 20, गणेश नगर, नागझीरी उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456010 **लोन नं. IIU05383M एवं IIU05175M**	₹ 11,93,450/- (रुपये ग्यारह लाख तिरयानवे हजार चार सौ पचास मात्र) दिनांक 30.06.2021 तक	14.12.2022	26.06.2025	**सम्पत्ति:** मकान नं. 50, तिरुपति पैराडाईस, ग्राम सुरसा, शिवांश पैराडाईस एक्टेंशन के पीछे, तहसील घटिया उज्जैन 456006 **क्षेत्रफल-** 600 वर्ग फीट	₹ 18,09,000/- (रुपये अठारह लाख नौ हजार मात्र)	₹ 1,80,900/- (रुपये एक लाख अस्सी हजार नौ सौ मात्र)	23-09-2025 प्रात: 11 बजे से दोप. 2 बजे तक

नियम एवं शर्तें:

1. बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाईन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी **https://www.indusind.com** या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध हैं।
2. **निविदा दस्तावेज जमा करने के साथ ही बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10% राशि ईएमडी के रुप में जमा करनी होगी तथा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 22.09.2025 को शाम 4:00 बजे तक है तथा न्यूनतम बोली वृद्धि राशि 10000/- (दस हजार रुपये) होगी।** बैंक ने आरक्षित मूल्य तथा उक्त उल्लिखित बयाना राशि (ईएमडी) तय कर दी है, इसे इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा। **संपर्क व्यक्ति: श्री राजीव चौकसे - 8839904792**
3. **सफल बोलीदाता** बिक्री मूल्य का 25% (बोली के साथ पहले से भुगतान की गई 10% राशि घटाकर) का भुगतान और जमा करेगा, यानी खरीदार को ई-नीलामी की तिथि पर बिक्री की पुष्टिहोने पर या अगले कार्य दिवस में शेष 15% का भुगतान करना होगा। इसके बाद बिक्री मूल्य की 75% शेष राशि सरफेसी अधिनियम के अनुसार बिक्री पुष्टिपत्र की तारीख से **15 दिनों** के भीतर जमा करना आवश्यक है।
4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रक्रिया को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है।

दिनांक : 21.08.2025
स्थान : इंदौर (म.प्र.)

ह/- प्राधिकृत अधिकारी
इंडसइंड बैंक लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
पीथमपुर शाखा: शॉप नंबर डीयूजीएफ-46 एवं डीयूजीएफ-47, प्रापर्टी नंबर 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स एवं संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर, जिला-धार (मध्य प्रदेश)
नीमच शाखा: ग्राउंड फ्लोर, वल्लभ भवन 6, विकास नगर, अम्बेडकर नगर, नीमच-458441 (मध्य प्रदेश)
रतलाम शाखा: ग्राउंड फ्लोर, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम - 457001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	लोन नं. 05100001072/ पिथमपुर शाखा) इजमाम कुरैशी (ऋणी) शामशाद बी (सह-ऋणी) इतिकर खान (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 490 1 490 2 490 3 490 4 490 5 प्लॉट नंबर 140 का भाग सेक्टर ए पर स्थित, छत्रछाया परिसर कॉलोनी पीथमपुर तहसील धार जिला धार, मध्य प्रदेश - 454775, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - उक्त प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम - प्लॉट नंबर ए-141, उत्तर - प्लॉट नंबर 95, दक्षिण - कॉलोनी की सड़क	09-05-2025 & ₹ 30,83,552/-	19-08-2025
2	लोन नं. 14400000184 / नीमच शाखा) अर्जुन धनगर (ऋणी) मोनिका धनगर (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, पटवारी हल्का नंबर 33 सर्वे नंबर 574 /1 /1 पेकी बाबा रामदेव वार्ड नंबर 01, मनासा जिला नीमच, मध्य प्रदेश - 458110 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - उक्त सर्वे नंबर की भूमि, पश्चिम - सड़क, उत्तर - विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण - अनिल धनगर की बेची गई भूमि	09-05-2025 & ₹ 3,37,548/-	19-08-2025
3	लोन नं. 02200001274 एवं 02210000113/रतलाम शाखा) रितेश प्रजापत (ऋणी) शांति बाई (सह-ऋणी) नरेन्द्र सिंह (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 488 सर्वे नं 488 गुलाब बाई कॉलोनी राजकुमार कॉलोनी वार्ड नं 19, तहसील नागदा जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456335 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - विक्रेता का बचा मकान, पश्चिम - सुंदर बाई का मकान, उत्तर - सड़क, दक्षिण - गली	09-05-2025 & ₹ 4,22,017/- & ₹ 2,57,360/-	19-08-2025

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 21-08-2025

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक: 5735/कॉलोनी सेल/2025/इन्दौर

सार्वजनिक सूचना

दिनांक: 19/08/2025

मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के नियम 23(6) व (7) एवं 24(2) के अंतर्गत

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 29 प्रकाशन दिनांक 13/01/2022 से मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत दिनांक 31/12/2022 के पूर्व अस्तित्व में आयी अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अद्योसंरचना प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए नगर पालिक निगम, इन्दौर सीमा क्षेत्र में स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में से जिन कॉलोनियों में नियम 23(3) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया एवं नियम 23(4) के प्रावधान अनुसार कॉलोनी के ले-आऊट (अभिन्यास) के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया है।

उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के पश्चात् प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत अभिन्यास को अंतिम रूप देते हुए उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 2915/1452905/2023/18-3 भोपाल दिनांक 18/07/2023 के क्रम में शासन द्वारा जारी मार्गदर्शन एवं परिषद संकल्प के अनुसार राशि रूपये 150/- प्रति वर्गफीट अर्थात राशि रूपये 1,614/- वर्गमीटर विकास शुल्क का निर्धारण किया जाकर तदुसार कार्यवाही का अवलोकन कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार ग्राम बिचौली हप्सी, तहसील बिचौली हप्सी, जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 157, 159, 160, 161, 162 पर स्थित शांति विहार अनाधिकृत कॉलोनी के भूखण्ड/भवनधारियों को सूचित किया जाता है, कि संबंधित कॉलोनी के सम्मुख दर्शायी गयी विकास शुल्क की राशि अनुसार पंजीकृत भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल हेतु आवश्यक विकास शुल्क राशि को जमा कराना अनिवार्य है :-

क्र.	झोन क्र.	वार्ड क्र.	कॉलोनी का नाम एवं ग्राम	सर्वे क्रमांक	शासन के पत्र दिनांक 18/07/2023 के अनुसार विकास शुल्क की राशि	प्राक्कलन अनुसार आंतरिक विकास शुल्क रूपये (प्रति वर्गमीटर)	कॉलोनी के संबंध में प्रस्तावित बाह्य विकास शुल्क (प्रति वर्गमीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19	76	शांति विहार कॉलोनी, ग्राम बिचौली हप्सी	157, 159, 160, 161, 162	1,614/-	876/-	738/-

उपरोक्तानुसार ग्राम बिचौली हप्सी, तहसील बिचौली हप्सी, जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 157, 159, 160, 161, 162 पर स्थित शांति विहार अनाधिकृत कॉलोनी के समस्त पात्र हितधारक एवं भवनस्वामी/भूखण्डधारकों को सूचित किया जाता है, कि आपको स्वामित्व के आधार पर भूखण्डो/भवनो हेतु प्रावधान अनुसार अपेक्षित 10 प्रतिशत खुली भूमि एवं अभिन्यास अनुसार रोड़ की चौड़ाई दर्शाकर स्वामित्व के आधार पर स्वयं के भूखण्ड का साईड प्लॉन कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर में प्रस्तुत करना होगा। आपके द्वारा भूखण्ड/भवन का स्वामित्व सिद्ध करते हुए पात्रता अनुसार दिनांक 31/12/2022 के पूर्व की मूल विक्रय पत्र/रजिस्ट्री/स्वामित्व संबंधी दस्तावेज के परीक्षण उपरांत निगम द्वारा नियमों के प्रावधानो अंतर्गत तथा शासन से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में निगम परिषद संकल्प अनुसार विकास शुल्क जमा कराने के उपरांत ही पृथक-पृथक भूखण्डो/भवनधारियों की वैधता/वैधानिकता सिद्ध मान्य की जावेगी। उक्त कॉलोनी में नियम 23(5) के अनुसार अपात्र एवं दिनांक 31/12/2022 के बाद अस्तित्व में आये भूखण्डों की वैधता मान्य नही होगी। ऐसे भूखण्ड की ही वैधता मान्य होगी, जिसकी प्रथम विक्रय पत्र दिनांक 31/12/2022 के पूर्व भूमिस्वामी/कॉलोनाईजर द्वारा विक्रय किया गया हो, तदुसार ही अन्य अपेक्षित अनुज्ञाओ एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अद्योसंरचना प्राप्त किये जाने हेतु पात्र होकर नियमानुसार भवन अनुज्ञा/जल संयोजन/विद्युत संयोजन की पृथक से संबंधित विभागो से स्वीकृति प्राप्त कर सकेगे। भविष्य में कॉलोनी के तैयार किये गये अभिन्यास में गुण-दोष के आधार पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन/ संशोधन के समस्त अधिकार सक्षम प्राधिकारी, नगर पालिक निगम, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगे।

आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित।

अपर आयुक्त
कॉलोनी सेल
नगर पालिक निगम, इन्दौर